दिल्ली उच्च न्यायालयःनई दिल्ली

सि.वा. (मू.प.) 792/2008 में अं.आ. 4920/2009

निर्णय की तिथि: 3 सितंबर 2009

यूनिस्टल सिस्टम प्रा.लि. ...वादी

द्वारा: श्री पवन दुग्गल

बनाम

प्रोडेटा डॉक्टर प्रा.लि. ...प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री अश्विन वैश्य, डी-1 से 4 के लिए अधिवक्ता। श्री एस.एस. राणा, डी-5 के अधिवक्ता

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एल. भयाना

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ

2.क्या संवाददाताओं के पास संदर्भित किया जाए या नहीं है? हाँ

3. निर्णय को डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ

<u>न्या., एस. एल. भयाना</u>

इस आवेदन के माध्यम से, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के सहपठित आदेश XXXIX नियम 1, 2, 7 और 10 के तहत आवेदक/वादी द्वारा दायर अं.आ. सं. 4920/09 का निपटान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

2. यह मामला कॉपीराइट के अतिलंघन, नकल, अनुचित प्रतिस्पर्धा, खातों के प्रतिपादन आदि से संबंधित है और प्रतिवादीगण के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश, क्षति और अन्य राहत के लिए प्रार्थना कर रहा है।

3. इस आवेदन के आधार पर, वादी ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादीगण को एफएटी के लिए डेटाडॉक्टर की बिक्री से उत्पन्न और एकत्र की गई सभी धनराशि और राजस्व जमा करने का निर्देश दिया जाए और एनटीएफएस के साथ-साथ विभिन्न डोमेन नाम रजिस्ट्रार, वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं और भुगतान गेटवे द्वारा स्वीकृत विभिन्न नामों के तहत विभिन्न वेरिएंट, परिवर्तित, संशोधित, पुनरुत्पादित संस्करण को तुरंत जब्त किया जाए और इस न्यायालय की अभिरक्षा और नियंत्रण में लाया जाए।

4. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अंतरिम एकपक्षीय आदेश दिनांक 30/4/2008 के बाद भी, प्रतिवादीगण ने अपने सॉफ़्टवेयर के कॉपी किए गए संस्करण को देखना जारी रखा है और प्रोडेटा डॉक्टर की कुछ वेबसाइटों की सूची, नए उत्पादों की सूची और अतिलंघन किए

गए सॉफ़्टवेयर बेचने वाले प्रतिवादीगण से संबंधित नई मिली वेबसाइटों को भी अभिलेख पर रखा है।

5. वादी का यह भी आरोप है कि 2 अप्रैल 2009 को वादी द्वारा डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कंपनी/पहचान के नाम को छोड़कर सब कुछ समान है और उत्पाद भी समान है और अतिलंघन किया गया स्रोत कोड अभी भी उनके कब्जे में है।

6. तर्क-वितर्क के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने भी न्यायालय को यह जानकारी दी कि इस धोखाधड़ी और अतिलंघन से संबंधित प्रतिवादीगण के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 और कॉपीराइट की धारा 14(6)(ii) के सहपठित धारा 63 और भारतीय दंड संहिता की धारा 381 के तहत सी.बी.आई. में प्राथमिकी सं. आरसी 0006/07 भी दर्ज की गई है। अपने मामले का समर्थन करने के लिए सी.बी.आई. ने सीएफएसएल से प्रतिवादी सं. 3 के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की साइबर फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 12/5/08 को पेश की है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रतिवादी सं. 3 को वादी के सॉफ़्टवेयर का उपयोग और अतिलंघन करते हुए पाया गया था। प्रासंगिक के रूप में नीचे पुन: प्रस्तुत किया जाए:

प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक,
भारत सरकार, हैदराबाद-500013

डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया का सावधानीपूर्वक और बारीकी से विश्लेषण किया गया है

1. XXXXXX

2. 'यूनिस्टल', 'क्विक रिकवरी' शब्द **Q2, Q9 और Q20** (क्रमशः **CCH-62-93-2008-Q2, CCH-62-93-2008-Q9** तथा **CCH-62-93-2008-Q20** के रूप में चित्रित) चिह्नित संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया में पाए गए थे।

3. संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया **Q2** (**CCH-62-93-2008-Q2 के रूप में चित्रित**) में पाए गए फोल्डर '9xNTFS' की फोल्डर मैच तुलना **एसटीडी** चिह्नित डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया में मौजूद फोल्डर '9xNTFS' से करने पर पाया गया कि 89 समान फाइल हैं। परिणामों की हार्ड कॉपी **अनुलग्नक-क (पृष्ठ संख्या 7-11)** पर दी गई है।

4. "रिसोर्स हैकर' का उपयोग करके फोरेंसिक विश्लेषण से पता चलता है कि **Q2, Q9 और Q20 (क्रमशः CCH-62-93-2008-Q2, CCH-62-93-2008-Q9 और CCH-62-93-2008-Q20 के रूप में चित्रित)** चिह्नित संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया में कई स्क्रीन डिज़ाइन पाए गए हैं, जो **एसटीडी** चिह्नित डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया में पाए गए डिज़ाइन के समान हैं। परिणामों की हार्ड कॉपी **अनुलग्नक-क (पृष्ठ संख्या 12-56)** पर दी गई है।

5. संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया **Q2 (CCH-62-93-2008-Q2 के रूप में चित्रित)** में पाए जाने वाले फोल्डर '9xNTFS' में मौजूद फ़ाइल 'quickmode.cpp' की तुलना **एसटीडी** के रूप में चिह्नित डिजिटल साक्ष्य स्टोरेज मीडिया में पाए गए फोल्डर '9xNTFS' में मौजूद संबंधित फ़ाइल के साथ सामग्री से मेल खाती है, यह दर्शाता है कि 9382 लाइने मेल खाती हैं

और 6 बेमेल हैं। परिणामों की हार्ड कॉपी **अनुलग्नक-क (पृष्ठ संख्या 57-175**) पर दी गई है।

7. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सीएफएसएल रिपोर्ट दिनांक 12/5/08 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रतिवादीगण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30/4/08 का उल्लंघन कर रहे हैं और यह निर्देश देने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि डेटा डॉक्टर और एनटीएफएस और इसके वेरिएंट और कॉपी किए गए विभिन्न उत्पादों और संस्करण की बिक्री से आने वाले सभी पैसों को इस माननीय न्यायालय के नियंत्रण और अभिरक्षा में लाया जाएगा ताकि उक्त पैसे की किसी भी तरह से बर्बादी या दुरुपयोग न हो।

8. वादी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वह केवल कॉपी किए गए उत्पादों की बिक्री से प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त धन को न्यायालय में जमा करने के लिए निर्देश माँग रहा है। वादी के अनुसार, प्रथम दृष्टया वादी की दिलचस्पी प्रतिवादी के उन पैसों में थी जो कि उसने वादी के सॉफ्टवेयर के थोड़े बहुत बदलाव करके बेचने पर कमाए थे और इसका संरक्षण प्रतिवादी की अ.आ. सं 5194/08 में दिनांक 30/4/09 के आदेश जोकि सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत किया गया था जिसके अंतर्गत प्रतिवादी सं. 3 को वादी की कॉपी की गई और समान संस्करण की बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए थे। वादी के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि वादी अपना

हिस्सा नहीं माँग रहा है, बल्कि केवल न्यायालय में उसे जमा करने की माँग कर रहा है।

9. इस आवेदन का विरोध करते हुए प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस स्तर पर सीएफएसएल रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जा सकता है और किसी भी मामले में सीएफएसएल रिपोर्ट की सामग्री आपराधिक विचारण का मामला है और उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लेने के लिए उचित न्यायालय के समक्ष इसे कानून के अनुसार साबित किया जाना चाहिए। जिस सीएफएसएल रिपोर्ट को अभिलेख पर रखने की माँग की गई है वह गलत और भ्रामक है।

10. यह आवेदन वादी द्वारा आदेश 39 नियम 4 के तहत प्रतिवादीगण द्वारा दायर अं. आ. सं. 9015/08 में निर्णय में देरी करने के इरादे से लागू की गई एक दबाव बनाने की रणनीति है, जिससे दिनांक 30/4/08 के आदेश को रद्द करने की मांग की जा रही है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इस स्तर पर प्रतिवादीगण को उक्त रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामले में अपने बचाव का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, इसका आपराधिक विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के तहत आश्वस्त उसके मौलिक अधिकार के विरुद्ध है।

12. यह संगीन मामला है जिसमें प्रतिवादी पहले से ही एकपक्षीय व्यादेश से पीड़ित है और यदि इस आवेदन को अनुमत किया जाए तो इससे उसे और अधिक नुकसान होगा।

13. इस मामले के गुणागुण के आधार पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि यह स्रोत कोड के कथित दुरुपयोग या चोरी का मामला नहीं है, बल्कि चूँकि वादी और प्रतिवादीगण दोनों एक ही प्रोग्राम यानी माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लास का उपयोग कर रहे थे, ताकि वे अपना स्वयं का स्रोत कोड बना सकें, जिससे अंतिम उपयुक्त सॉफ्टवेयर उत्पाद तैयार किए जा सकें, यह स्वाभाविक है कि दोनों प्रोग्रामों के दृश्य लेआउट में कुछ कथित समानताएँ होंगी ही होंगी।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड और सीएफएसएल रिपोर्ट आदि जैसे अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मेरा विचार है कि प्रतिवादीगण द्वारा दी गई दलील का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह मान्य नहीं है। यह न्यायालय के आदेश के उल्लंघन/भंग का एक साधारण सा मामला है। ऑर्डर XXXIX नियम 10 सि.प्र.सं. का उद्देश्य वाद लंबित रहने के दौरान इस तरह की स्थिति का ध्यान रखना है। इस तरह की परिस्थितियों में, न्यायालय को एक ज़रूरत को दूसरी ज़रूरत से तौलना चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। चूँकि इस न्यायालय के आदेश का उल्लंघन दिखाने के लिए अभिलेख पर स्पष्ट

और पर्याप्त सामग्री है। मेरी राय में वादी इस राहत का हकदार है चूँकि प्रतिवादीगण कॉपी किए गए संस्करण को अभी भी बेच रहे हैं और इसके लाभ का आनंद ले रहे हैं, इसलिए उसे इसकी आय न्यायालय में जमा करनी होगी। न्यायालय निश्चित रूप से इस प्रकार के मामले में, अपने न्यायिक विवेकाधिकार का उचित प्रयोग करते हुए, न्याय करने के उद्देश्य से या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए वाद का निर्णय लंबित रहने तक धन जमा करने का आदेश दे सकता है।

15. परिणामस्वरूप, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है। न्याय हित में, उपरोक्त पारित आदेश के अनुसार, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.4.2008 के उल्लंघन में प्रतिवादीगण को एफएटीएस और एनटीएफएस के लिए डेटाडॉक्टर की बिक्री की आय जमा करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है।

16. आवेदन का निपटारा किया गया है।

<u>सि.वा. (मू.प.) 792/2008</u>

11.01.2010 को सूचीबद्ध करें।

न्या.,एस. एल. भयाना

3 सितंबर, 2009

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*